## कार्यालय आदेश

कोविड–19 के मद्देनजर जिला चरखी दादरी को दिनांक 14.04.2020 तक लॉकडाउन किया गया है। उक्त लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के तहत जिला चरखी दादरी में स्थित अधिकृत निजी खाद, बीज व दवाई विक्रेताओं तथा कृषि मशीनरी एवं यंत्रों व ट्रकों के स्पेयर पार्ट, बिक्री एवं मरम्मत से संबंधित रजिस्टर्ड दुकानों/कार्यशालाओं को रोस्टर के अन्तर्गत प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन सभी प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार साफ–सफाई एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना संबंधित मालिक की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त एक ट्रैक्टर/कृषि यंत्र के साथ केवल एक किसान को ही आने–जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही खाद, बीज, दवाई विक्रेताओं व कृषि यंत्रों एवं मशीनरी से जुडी दुकानों/कार्यशालाओं को माल की आपूर्ति सुचारू करने हेतु आवाजाही की अनुमति दी जाती है।

31.03.2020
उपायुक्त, चरखी दादरी।

पृ क्रमांक COVID-19/61-65 दिनांक 31-03-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस अधीक्षक, चरखी दादरी।
2. उपमण्डल अधिकारी (ना0) चरखी दादरी व बाढडा।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, चरखी दादरी।
4. उप–कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, चरखी दादरी/भिवानी।

31.03.2020
उपायुक्त, चरखी दादरी।